महत्वपूर्ण एवं खास

राज्यपाल से केन्द्रीय राज्यमंत्री श्रीमती सिंह ने की सौजन्य भेंट

रायपुर (आरएनएस)। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से आज यहां राजभवन में जनजातीय मामले के केन्द्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रेणुका सिंह ने सौजन्य मुलाकात की।

मकान बंटवारा के विवाद में घर वाले आपस में भिड़े, एक दूसरे के खिलाफ लिखवाई रिपोर्ट

रायपुर (आरएनएस)। मकान का बंटवारा को लेकर विवाद कर दो पक्ष आपस में मारपीट कर एक दूसरे के खिलाफ लिखवाई थाने में रिपोर्ट। पुलिस ने दोनों पक्षों के रिपोर्ट पर अलग अलग धाराओं में अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोमवारी बाजार नवापारा निवासी सरोज सोनी 49 वर्ष पति स्व. लक्ष्मीकांत सोनी ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 6 नवंबर को मकान का बंटवारा के विवाद के चलते घर में जबरन प्रवेश कर मकान खाली करने को कहकर देवानंद सोनी, सुधा सोनी, संजु सोनी, पुखराज सोनी व हेमा सोनी ने एक राय होकर प्रार्थियां को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का से मारकर चोट पहुंचाया। वहीं श्रीमती हेमा हठिले 29 वर्ष पति पुखराज सोनी ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि सरोज सोनी, हरिश सोनी, पदमा सोनी ने प्रार्थियां के घर में घुसकर मकान के बंटवारा को लेकर गाली गलौज कर मारपीट किया।

सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों का जेवर चोरी, मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। सूने मकान का ताला तोड़कर आलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर चोरी किए जाने की रिपोर्ट कबीर नगर थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार फेस-2 कबीर नगर रायपुर निवासी अभिषेक मिश्रा 21 वर्ष पिता सुभाष मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 6 नवंबर को 7.30 बजे से 10 बजे के बीच किसी अज्ञात चोर ने प्रार्थी के सूने मकान का ताला तोड़कर कमरे के अंदर प्रवेश कर आलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात कीमत कुल 1 लाख 18 हजार के गहने चोरी कर ले गए। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 457, 380 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

धोखाधड़ी मामले में दो गिरफ्तार

महासमुंद (आरएनएस)। चिटफंड कंपनी द्वारा क्षेत्र के लोगों से की जा रही ठगी और धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक दिन पहले ही सरायपाली पुलिस ने जस्ट 999 नामक चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर सहित दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। अपराध दर्ज होने के बाद शाम को ही टंकधर पटेल और उमेश पटेल की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं कंपनी के डायरेक्टर रूपधर चौधरी की गिरफ्तारी होनी बाकी है। मामले के जांच अधिकारी धनेश टांडेकर ने बताया कि ठगी और धोखाधड़ी की शिकायत पर मामले में जांच की गई थी, जिसके बाद सोमवार को तीन नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सोमवार को मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई है।

फांसी पर मिली युवक की लाश

महासमुंद (आरएनएस)। हाड़ाबंध में एक युवक ने घर के पंखे से फांसी लगा कर जान दे दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार सुबह 11 बजे पुरेश पिता गंगूराम साहू की घर फांसी पर लटकी लाश मिली। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया है।

जनपद पंचायतों के लिए आरक्षण की कार्यवाही 14 नवम्बर को

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ पंचायत राज्य अधिनियम 1993 के तहत जनपद पंचायत के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों (जनपद पंचायत सदस्य) हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण की कार्यवाही की जानी है। कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने इसके लिए अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को प्राधिकृत किया है। धरसींवा और तिल्दा विकासखंड में आरक्षण के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायपुर को प्राधिकृत किया गया है। आरक्षण की यह कार्यवाही 14 नवम्बर को सुबह 11 बजे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) में की जाएगी। अभनपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अभनपुर द्वारा 14 नवम्बर को सुबह 11 बजे से संचालक कृषि सभा कक्ष रायपुर में आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी। आरंग जनपद क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आरंग द्वारा आरक्षण की कार्यवाही 14 नवम्बर को सुबह 11 बजे से जिला पंचायत सभा भवन रायपुर में की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने देवउठनी एकादशी की बधाई और शुभकामनाएं दी

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को देवउठनी एकादशी की बधाई और शुभकामनाएं दी है। बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि देवउठनी एकादशी को छत्तीसगढ़ में बहुत उत्साह और उमंग से मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी को देव उत्थान एकादशी, तुलसी विवाह, देवप्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन देव चार महीने सोने के बाद जागते हैं। इस दिन धूमधाम से भगवान शालीग्राम का तुलसी से विवाह किया जाता है। यह दिन शुभ और मंगलकारी माना गया है। हिन्दुओं में इसी दिन से सारे मांगलिक कार्यों की शुरूआत की जाती है।

मुख्यमंत्री ने सुकमा में गौठान का निरीक्षण किया

» ग्रामीणों ने जैविक सब्जियों से किया मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत » मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 168 करोड़ रूपए के 64 कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जिला मुख्यालय सुकमा के दौरे पर सुकमा के रामपुरम के पास गीदम में गौठान का अवलोकन किया। ग्रामीणों ने तुमा और तरोई जैसी जैविक सब्जियां भेंट कर और खुमरी पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बघेल ने सुकमा के मिनी स्टेडियम में आयोजित पंच-सरपंच एवं किसान सम्मेलन में लगभग 168 करोड़ 59 लाख रूपए की लागत के 64 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, लोकसभा सांसद दीपक बैज और विधायक सर्वश्री मोहन मरकाम, लखेश्वर बघेल और विक्रम मण्डावी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने सुकमा में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 85 करोड़ 26 लाख रुपए से अधिक के 28 विकास कार्यों का लोकार्पण और 83 करोड़ 32 लाख 97 हजार रुपए के 36 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया।

बघेल ने कोकराल से पुसपाल मार्ग पर बारुनदी में 5 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से निर्मित उच्चस्तरीय पुल, 8 करोड़ रुपए की लागत से सुकमा में निर्मित एकलव्य आदर्श आवासीय परिसर, 11 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से सुकमा में निर्मित 500 सीटर अनुसूचित जनजाति कन्या शिक्षा परिसर भवन, 3 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से छिन्दगढ़, कोडरीपाल, पुसपाल, तोंगपाल, लेदा, गादीरास, केरलापाल, कोर्रा, चिन्तागुफा, मुण्डपल्ली, कुकानार और कोण्टा में निर्मित सहकारिता गोदाम, 8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 250 सीटर बालक छात्रावास भवन, 8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बालिका छात्रावास भवन, 2 करोड़ 17 लाख 16 हजार रुपए की लागत से पुसपाल में निर्मित 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र और 1 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से एर्राबोर में निर्मित 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र का लोकार्पण किया।

मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रालय के विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली

रायपुर (आरएनएस)। मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रालय के विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। समय-समय पर विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित होने वाले बैठकों की प्रक्रिया, प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी और उपस्थिति के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए।

खरीफ वर्ष 2019-20 में धान खरीदी : सीमा क्षेत्रों से लगे जिलों के कलेक्टरों को सतर्कता बरतने के निर्देश

» धान के अवैध परिवहन पर होगी कड़ी कार्रवाई

रायपुर (आरएनएस)। मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि खरीफ वर्ष 2019-20 में एक दिसम्बर 2019 से प्रारंभ हो रहे धान खरीदी के दौरान धान के अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी रखें। धान के अवैध परिवहन करते पकड़े गए गाड़ियों को धान खरीदी के लिए निर्धारित पूरे समय तक जप्त रखा जाए और इस कार्य में संलग्न सभी व्यक्तियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जाए।

मुख्य सचिव मण्डल ने सीमावर्ती राज्यों से लगे जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बनाकर धान के अवैध परिवहन पर तत्काल कार्रवाई शुरू करें। उन्होंने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को जोड़ते हुए वॉटअप ग्रुप बनाने के निर्देश दिए हैं। इस ग्रुप में प्रतिदिन धान के अवैध परिवहन के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी सीधे खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह को दी जाएगी। मण्डल ने सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों से कहा है कि किसानों के पंजीयन का दस दिवस के भीतर पुनः परीक्षण करें और गिरदावरी अनुसार रकबे की प्रविष्टि करें।

खरीफ वर्ष 2019-20 के दौरान पंजीकृत किसानों से एक दिसम्बर 2019 से 15 फरवरी 2020 तक की अवधि में धान की खरीदी की जाएगी। मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त कलेक्टरों को धान खरीदी के लिए खरीदी केन्दों में आवश्यक सभी व्यवस्था पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

सांकरा रेलवे स्टेशन के समीप आरोपी से देशी मदिरा के 21 पाव बरामद

धमतरी (आरएनएस)। अवैध मदिरा के विनिर्माण, धारण, विक्रय, परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा जिले में स्थित होटलों, ढाबों व संदेहास्पद जगहों में लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में बुधवार छह नवंबर को सांकरा रेलवे स्टेशन के समीप आरोपी केशव पिता अगनू केंवट, निवासी ग्राम सम्बलपुर के आधिपत्य से देशी मदिरा के 21 पाव बरामद कर उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज किया गया। जिला आबकारी अधिकारी मोहित कुमार जायसवाल ने बताया कि सांकरा रेलवे क्रॉसिंग के पास मदिरा के अवैध विक्रय की शिकायतें निरंतर मिल रही थीं, जिसके बाद विभाग की टीम के द्वारा दबिश देकर उक्त कार्रवाई की गई। इसके अलावा धमतरी एवं आसपास स्थित राजा ढाबा, नवीन ढाबा, प्रिंस ढाबा एवं छत्तीसगढ़ ढाबा में भी छापामार कार्रवाई की गई। टीम में प्रमुख रूप से सहायक जिला आबकारी अधिकारी सीएच यदु, आबकारी उप निरीक्षक वैभव मित्तल, शरद जायसवाल शामिल थे।

एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर खाते से हजारों रुपये निकाल लेने की रिपोर्ट दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर 54 हजार 9 सौ 9 रुपये खाते से निकाल लेने की रिपोर्ट आरंग थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार एलआईजी 73 अटल बिहार कालोनी आरंग निवासी गुलाब सिंह दीन 40 वर्ष पिता हरिप्रसाद दीन ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 25 सितंबर से 1 नवंबर 19 के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने प्रार्थी के एसबीआई खाता से व ओरियंटल बैंक खाता से 60 बार में एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर 54 हजार 9 सौ 9 रुपये निकाल लिया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

डीजीपी व एसपी को कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप में न्यायालयीन अवमानना का नोटिस

बिलासपुर (आरएनएस)। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ व बिलासपुर पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है।

मुंगेली जिला मुख्यालय में पदस्थ पुलिसकर्मी राजकुमार सिंह ने वकील एसबी पांडेय के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर समयमान वेतनमान देने की गुहार लगाई थी।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि पुलिस विभाग में उसकी ज्वाइनिंग वर्ष 1985 की है। विभागीय अधिकारियों ने ज्वाइनिंग तिथि की गणना में चूक करते हुए समयमान वेतनमान का लाभ से वंचित कर दिया है। याचिकाकर्ता ने नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि नियुक्ति दिनांक से 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर पहला समयमान वेतनमान का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है। इसके बाद 10 वर्ष और फिर 30 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अंतिम समयमान वेतन का लाभ दिया जाता है। नियुक्ति तिथि में गड़बड़ी किए जाने के कारण समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

संविधान दिवस 26 नवम्बर और समरसता दिवस 14 अप्रैल को होंगे विशेष कार्यक्रम

रायपुर (आरएनएस)। मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संविधान दिवस और समरसता दिवस के आयोजन के संबंध में कार्यक्रमों के निर्धारण एवं जरूरी तैयारियों के संबंध में चर्चा किया गया। संविधान दिवस का आयोजन 26 नवम्बर 2019 को मनाया जाना है और समरसता दिवस बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल 2020 को मनायी जाएगी।

श्री मण्डल ने भारतीय संविधान के प्रमुख आधारभूत तथ्यों के प्रति जागरूकता लाने, अभियान के रूप में 26 नवम्बर 2019 से 14 अप्रैल 2020 तक विभिन्न कार्यक्रम करने के निर्देश दिए है। इसके तहत विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संविधान दिवस 26 नवम्बर के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य के समस्त ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में विशेष सभा का आयोजन किया जाएगा और भारत के संविधान के सम्मान में शपथ ली जाएगी। 26 नवम्बर से 14 अप्रैल तक की अवधि में राज्य के समस्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रतिदिन एक-एक मूल कर्त्तव्य और मूल अधिकारों की जानकारी दी जाएगी और उनसे संबंधित चर्चा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से भारत के संविधान को जानने-समझने का अवसर विद्यार्थियों और आम नागरिकों को उपलब्ध कराया जाए। समरसता दिवस 14 अप्रैल 2020 को राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव ने भारतीय संविधान के गरिमा के अनुरूप कार्यक्रमों के रूपरेखा का निर्धारण और उससे जुड़ी तैयारियों के क्रियान्वयन के निर्देश दिए है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

SJU Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी तकुन्दे एवं अन्य ने शासन को वचनबद्ध ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य स्तर में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चियों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU